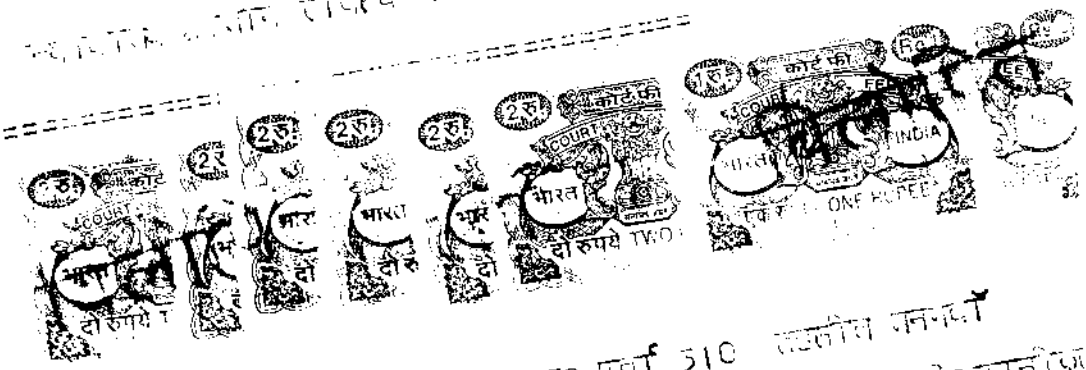

/2014
रीवा
क

[illegible] राजस्व मण्डल ग्वालियर

मोहन पटेल पिता राम सुन्दर पटेल सा० पुर्वा उ० तहसील मनगवाँ ———— निगरानीक
जिला रीवा (म० प्र०)

बनाम

1:- भूपभान पटेल पिता राम सुन्दर पटेल सा० पुर्वा उ०
2:- श्रीमती [illegible] रावत पति भूजलाल रावत सा० पुलौली नं० 2
3:- श्रीमती सुशीला रावत पति भैयालाल रावत सा० पुलौली नं० 2
तहसील मनगवाँ जिला रीवा (म० प्र०) ———— गैर निगरा

निगरानी विरुद्ध आदेश अनुविभागीय अ
महोदय तहसील मनगवाँ रा० प्र० क्र० 5
11x012 आदेश दिनाँक 28/01/2014
धारा 50 MPLRC 1959

R-471-III/14

अधि० श्री० त्रिवेदी
7-2-14

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 471 / तीन / 2014 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर

6.6.14

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, मनगवॉ जिला रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 58 / अ 27 / 11–12 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28–1–14 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2 / आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने गये। उन्होंने बताया है कि तहसीलदार मनगवॉ के प्र.क. 22/अ-27 / 11–12 में पारित आदेश दिनांक 2–3–12 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 5–6–12 को विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई थी, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी मनगवॉ में अनुचित विलम्ब क्षमा कर आवेदक के हितों के विपरीत निर्णय लिया है, जबाकि विलम्ब क्षमा करने हेतु कोई आधार प्रमाणित नहीं हुआ है इसलिये निगरानी ग्राह्य कर सुनवाई में ली जाय।

3 / आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 28–1–14 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने तहसीलदार के आदेश की जानकारी के वाद प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने के उपरात 6 दिवस के विलम्ब को सदभाविक मानकर क्षमा किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रृटि किया जाना परिलक्षित नहीं है क्योंकि –

1. भू राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.)–धारा 47 एंव परिसीमा अधिनियम, 1963– धारा 5 – पर्याप्त कारण होने से न्यायालय बैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग कर विलम्ब क्षमा कर सकता है।
2. परिसीमा अधिनियम, 1963– धारा 5 एंव भू राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.) –धारा 47 – सामान्यतः तकनीकी आधार पर मामले के गुणागुण की उपेक्षा नहीं की जाना वाहिये एंव पर्याप्त कारण पाये जाने पर उदार–रूख अपनाया जाकर विलम्ब क्षमा करना वाहिये।

4/ उपरोक्त कारणों से अनुविभागीय अधिकारी, मनगवॉ जिला रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 58/अ-27/2011-12 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28-1-14 विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतएव निगरानी सारहीन पाये जाने से अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

सदस्य